भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

2012 का परिपत्र संख्या 28 जो कि पत्रांक सं. 804(4)/45-परीक्षा/परिपत्र/पूरक फरवरी 2013/2012 दिनांक 19-12-2012 के अन्तर्गत जारी किया गया है कि हिन्दी अनुवाद।

विषयः- फरवरी/मार्च 2013 में होने वाली पूरक एसएएस परीक्षा के लिए तिथि-पत्र।

महोदय/महोदया,

पत्र संख्या 628/45-परीक्षा/परिपत्र/पूरक 13/2012 दिनांक 12-10-2012, के अन्तर्गत जारी किए गए परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 23 की निरन्तरता में दिनांक 26-02-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित होने वाली फरवरी/मार्च 2013 पूरक एसएएस परीक्षा की तिथि-पत्र संलग्न है।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

संलग्नक - तिथि-पत्र

हस्ताक्षरित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफरमार्ग
नई दिल्ली।

फरवरी/मार्च 2013 पूरक एस.ए.एस. परीक्षा का तिथि-पत्र

दिनांक/दिन	पूर्वाहन सत्र (9 : 00 से 13 : 30)	अपराहन सत्र (14 : 00 से 18 : 30)
	बैच I एवं II	बैच III एवं IV
26 02- 2013 मंगलवार	पी.सी. - 1 (1पेपर)	पी.सी. - 8,9,10,11 एवं 12 (5 पेपर)
27-02- 2013 वुधवार	पी.सी.- 2 (1पेपर)	पी.सी. - 13,14 एवं 15 (3 पेपर)
28-02-2013 बृहस्पतिवार	पी. सी. - 3 (1पेपर)	पी. सी. - 16,17,18,19 एवं 20 (5 पेपर)
1-03-2013 शुक्रवार	पी.सी.- 4 (1पेपर)	पी.सी.- 21,22,23,24,25 एवं 26 (6पेपर)
2-03-2013 शनिवार	पी.सी.-5,6,7 (3पेपर)	पी.सी.- 27,28,29 (3 पेपर)

बैच टाईमिंग्स

दिनांक/दिन	पूर्वाहन सत्र		अपराहन सत्र	
	बैच - I	बैच - II	बैच - III	बैच - IV
26-02-2013 मंगलवार	9 : 00 से 11 : 30	शून्य	14 : 00 से 16.: 00	16 : 30 से 18 : 30
27-02-2013 से 02-03-2013 बुधवार से शनिवार	9 : 00 से 11 : 00	11 : 30 से 13 : 30	14 : 00 से 16 : 00	16 : 30 से 18 : 30

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग।

2012 का परिपत्र संख्या. 27 जो कि पत्र संख्या. 798/45-परीक्षा /परिपत्र/2010 दिनांक: - 07-12-2012 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

विषयः-एस.ए.एस पूरक परीक्षा फरवरी 2013- पीसी-1, एवं पी.सी.-4 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

फरवरी, 2013 में 26-02-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित होने वाली एस.ए.एस. पूरक परीक्षा में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि पीसी-1, भाषा कौशल की सी.बी.टी मोड से परीक्षा देते समय टैब एवं कन्ट्रोल की, कट, कॉपी एवं पेस्ट कमान्डस को निष्क्रय कर दिया जाता है। टूल बाक्स में दिखाये गये इन्डैन्ट बटन का प्रयोग पैरो के बीच की जगह बढ़ाने या घटाने में किया जायेगा जैसा कि निर्देशों में दर्शाया गया है। पी.सी-4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक) प्रश्न-पत्र में भी शॉर्ट कट कीज़ जैसे Ctrl key भी निष्क्रय रहेगा।

उल्लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित किया जाये।

हस्ताक्षरित

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

2012 का परिपत्र संख्या. 26 जो कि पत्र संख्या. 643/45-परीक्षा /परिपत्र/2010 दिनांक: - 31-10-2012 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

विषयः- पीसी-4- सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक) एवं पीसी-1, भाषा कौशल- सॉफ्टवेयर रूपांतरण के संदर्भ में फरवरी 2013 में पूरक एस.ए.एस परीक्षा।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि फरवरी, 2013 की एस.ए.एस. पूरक परीक्षा में पीसी-4- सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवहारिक) एवं पी सी-1. भाषा कौशल के लिए संचालन प्रणाली एवं सॉफ्टवेयर क्रमशः विंडोज XP & MS office 2003 होंगे।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजे।

हस्ताक्षरित

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

2012 के परीक्षा परिपत्र सं. 25 जो कि पत्रांक सं. 746/35- परीक्षा /2008 /V

दिनांक 17- 10.-2012 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

विषय :- दिनांक 26-02-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित होने वाली अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा (पूरक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एंव लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था., (आरईएस) खण्ड II के अर्न्तगत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 26-02-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित होने वाली निर्धारित एसएएस (पूरक) परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अनुमत किए जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगी।

एसएएस समूह –I और II के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में उन अभ्यर्थियों को जो विशेष प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में छूट के साथ साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अकों की छूट प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त छूट दिनांक 26-02-2013 से 02-03-2013 तक में अयोजित होने वाली एस.ए.एस (पूरक) परीक्षा के लिए हैं। अनुजाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा की समीक्षा तथा तद्नुसार अधिसूचना भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व की जायेगी।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. अभ्यर्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेंजे।

हस्ताक्षरित

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।
परीक्षा अनुभाग

2012 का परिपत्र संख्या. 24 जो कि पत्र संख्या. 747/45-परीक्षा / परिपत्र/ पूरक/ 13 - 2010-12 एस.ए.एस./ दिनांक: - 17 - 10 - 2012 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

विषय: - 26-02-2013 से02-03-2013 तक में होने वाली पूरक एस ए एस. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 23 जो कि पत्रांक सं.628/45-परीक्षा/परिपत्र/2012 दिनांक 12-10-2012 के अन्तर्गत जारी किया गया था के द्वारा पहले सूचित किया गया था कि अगली पूरक एस.ए.एस. परीक्षा वर्तमान अभ्यर्थियो अर्थात वे अभ्यर्थी जो सितम्बर 2012 में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे या पूर्व की एस.ओ.जी.ई./एस.ए.एस. परीक्षा में सम्मिलित हुए थे परन्तु परीक्षा में उत्तीर्ण नही हुए दिनाक 26-02-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित होगी

2. उपरोक्त परीक्षा के लिए सम्भावित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 01-11-2012 से 15-11-2012 तक के लिए खुला होगा। क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन है इसमें की गई प्रविष्टियों के साथ पंजीकरण को पुनः खोले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए महत्व दिया जाता है कि अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन एवं सुनिश्चय सेवा पुस्तिका और इस सम्बन्ध में दूसरे अभिलिखों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किए जाने के समान माना जाएगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने -अपने कार्यालयों, जिससे वे सम्बन्धित हैं, में उनके आवेदन पत्रों को भरवाकर ऑन लाइन

पंजीकृत किया जाना है। सम्बन्धित कार्यालयों के वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (प्रशासन) अथवा वरिष्ठ लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) को अभ्यर्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना है तथा अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विवरणों की यथातथ्यता को सुनिश्चित करना है। इस से न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और यह निवेश नियन्त्रण के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट की सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित कम्प्यूटरों को पृथक/उद्दिष्ट करना चाहिए।सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण के लिए तथा अभ्यावेदन के अनुमोदन, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा के, कूटशब्द उत्पन्न किये जा चुके हैं और अलग से सम्प्रेषित किए जायेंगे।

4. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के बाद भी अपूर्ण/गलत/विलम्बित पंजीकरण के कुछ मामले देखने में आये हैं। पंजीकरण विवरणों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय आवेदन में समूह I या समूह II या दोनो समूहो को भरा तथा अन्तिम क्षणों में समूह परिवर्तन करने की प्रार्थना की। कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण के समय कुछ प्रश्न पत्रों में छूट का दावा नही किया तथा पंजीकरण के समापन के बाद या प्रवेश पत्र जारी करते समय छूट का दावा किया। एक ऐसा मामला भी प्रकाश में आया जहॉ परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यालय से अभ्यर्थी के नाम में संशोधन करने की प्रार्थना की गयी। इससे कार्य प्रणाली में बहुत असुविधा होती है। **इन से यह संकेत मिलता है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थन का अनुमोदन करते समय अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये आवेदनों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ठीक से जाँच नहीं की गई है।** इसे नही दोहराया जाना चाहिए । इसलिए कृपया अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:-

(i) अभ्यर्थी का पूरा नाम और उसका पितृत्व सेवा पुस्तिका के अनुरूप ही दर्ज किया गया है। सभी विवरणो की पूर्ण जाँच के बाद अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करे कि भरे गये विवरण पूर्ण तथा सही है।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ब्यौरा प्रशासन ने विधिवत जाँच लिया हैः विशेष रूप से सूचकांक संख्या/वर्ष/शाखा जिसमें कि वह बैठा/बैठी है, पदनाम और छूट का दावा। एस.ए.एस./एस.ओ.जी.ई. तथा नॉन एस.ए.एस से संबंधित छूट के दावो का विवरण ठीक ठीक फील्ड़ में भरे गये है।

(iii) पात्र मंडलीय लेखाकार/मंडलीय लेखा अधि.- II द्वारा पी.सी.-16 में छूट के दावे के लिए पंजीकरण मॉडयूल में एक अलग फील्ड का प्रावधान किया गया है। पात्र अभ्यर्थी मंडलीय लेखाकार ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा अनुक्रमांक भरेगें। मंडलीय लेखाकारो/मंडलीय लेखा अधि. ग्रेड - II द्वारा पी.सी.16 में छूट सम्बन्धी भरे गये विवरण की प्रशासन जाँच करेगा।

(iv) अभ्यर्थी अपने-अपने कार्यालयों से जिससे कि उनका संबंध है से पंजीकृत होने चाहिए। जिस फोटो को अपलोड किया जा रहा है वह प्रथम अक्टूबर, 2012 से पूर्व का नही होना चाहिए।

(v) यदि किसी कार्यालय विशेष से पंजीकृत होने बाद किसी भी अभ्यर्थी का स्थानान्तरण दूसरे कार्यालय में हो जाता है तो उसके स्थानान्तरण के विषय में मुख्यालय को तुरन्त सूचित करें।

5. उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश/चरण केन्द्रों की सूची सहित संलग्न हैं।

6. इसके अतिरिक्त, स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासकीय) खण्ड -I के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचों को समुदाय, दावा की गई छूटों आदि जैसी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना के पूर्ण सत्यापन के अलावा विभागाध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना है।

परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

हस्ताक्षरित

अनुलग्नकः- उपर्युक्तानुसार

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

फरवरी 2013 की पूरक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा / के लिए परीक्षा - अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश

(अ) अभ्यर्थियों का पंजीकरण -(रजिस्ट्रेशन माडयूल)

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/ वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) प्रणाली आपके कार्यालय कोड एवं कूटशब्द के लिए पूछती है। कृपया उन्हें दर्ज करें। कूटशब्द अलग से भेजा जा रहा है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में महत्वपूर्ण आवश्यक सारी जानकारी हेतु लाल तारांकन का संकेत दिया गया है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक कि लाल तारांकन वाली सारी जानकारी भरी न जा चुकी हो।

(4.) सितम्बर 2012, मार्च 2012 (पूरक), अगस्त 2011 या नवम्बर 2010 की सी बी टी प्रणाली में पंजीकृत अभ्यर्थी अपनी नवीनतम सूचकांक संख्या सी बी टी सितम्बर 2012, मार्च 2012 (पूरक), अगस्त 2011 या नवम्बर 2010, जैसा भी हो, दर्ज करें। जन्म तिथि का चयन करें और प्रस्तुत (Submit) बटन दबाएं। उसके बाद जैसा पूछा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(5.) परीक्षार्थी जो पूर्व की अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा मे बैठे थे और सी बी टी सितम्बर 2012, मार्च 2012 (पूरक) अगस्त 2011, या नवम्बर 2010 में नही बैठे है उनका अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा की सूचकांक संख्या, वर्ष और माह जिसमें वह अन्तिम बार सम्मिलित हुए थे दर्ज करने के बाद "प्रस्तुत नया पंजीकरण (submit new registeration)" बटन को दबाएं। तब जैसा कहा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(6.) "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाने से पहले अभ्यर्थी अपनी जानकारी का सूक्ष्म विवेचन कर लें। यदि किसी जानकारी को संशोधित करना हो तो ऐसा करने के लिये "सम्पादित (Edit)" बटन दबायें। यदि सम्पादित किया जाए तो हस्ताक्षरित फोटो को एक बार फिर "ब्राऊस (Browse)" बटन का प्रयोग करके पुनः अपलोड करें। **दोहराने के लिये; यदि किसी भी जानकारी को संशोधित/सम्पादित किया जाता है तो हस्ताक्षरित फोटो को ब्राऊस बटन का प्रयोग करके पुनः संलग्न/अपलोड करें।** एक बार प्रस्तुत करने पर, संशोधन पंजीकरण के स्तर पर पंहुच कर नही किया जा सकता।

(7) एक बार अभ्यर्थी "प्रस्तुत (Submit) बटन दबाता है प्रणाली आवेदन को अंतिम रूप समझती है और अभ्यर्थी का एस.ए.एस. के लिए "एस" उपसंर्ग लगाकर सूचकांक संख्या बना देता है।

(8) सूचकांक संख्या अभ्यर्थी द्वारा नोट किया जाये जो कि भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी है और विन्डो बंद कर दें। इससे अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

(9) वैकल्पिक जानकारी जैसे ई-मेल पता, मोबाईल फोन नम्बर तथा कार्यालय पहचान पत्र संख्या सही ढग से लिखें जिससे प्रवेश पत्र के जनन तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने के लिए संदेश भेजने की सुविधा दी जा सके ।

(10) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। याद रहे, एस.ए.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नवम्बर 2010 से केवल छह प्रयास ही अनुमेय है। इसलिए, केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकरण करे जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण हो गया तो अभ्यर्थिता से वापसी अनुमेय **नहीं** है।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन (प्रशासनिक मॉडयूल)

1) विभागाध्यक्ष को सीएजी की एमएसओ (प्रशासनिक) खण्ड -I के अध्याय 9 के अनुसार छूट की अनुमति सहित अच्छी तरह से जाँच कर लेनी चाहिए।

(2) प्रणाली आपका प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूट शब्द पूछती है। प्रयोक्ता आई. डी. "cag" है तथा कूट शब्द अलग से भेजा जा रहा है। कृपया उन्हें दर्ज करें। विभागाध्यक्ष प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूटशब्द को बदल सकता है।

(3) विभागाध्यक्ष (HOD) अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी का विवरण देख सकते है। प्रणाली उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या को उनकी सूचकांक संख्या के साथ दिखाती है।

(4) विभागाध्यक्ष अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या तथा स्क्रीन पर उपलब्ध छूट का उत्पत्ति स्थान पर क्लिक करके अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट की गई छूट के दावो का सत्यापन ऑन लाइन कर सकते है।

(5) विभाग प्रमुख "सम्पादन (Edit)" मेनू के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी को संशोधित कर सकते है।

(6) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्पादन हेतु http://examreg.cag.gov.in/cag-admin वेब पते पर लॉग ऑन करें। दिये गये विस्तृत विवरण के सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। यह अभ्यर्थी के आवेदन के लिए विभाग प्रमुख के अनुमोदन को पूरा करता है।

(7) कोई भी स्पष्टीकरण गैर अनुमोदित अभ्यर्थी सहित अभ्यर्थी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत विभाग प्रमुख को "admin" मॉडयूल पर दोबारा से जाकर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का अनुमोदन कर सकते है।

(स) मुख्यालय मॉडयूल

(1) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए वेब पते पर ही किसी दूसरे प्रयोक्ता आई.डी" एवं कूटशब्द द्वारा प्रधान निदेशक (परीक्षा) उपयोग करते हैं।

(2) मुख्यालय में जाँच कम से कम रखी जाएगी क्योंकि विभागाध्यक्ष द्वारा सभी आवश्यक जाँच की जा चुकी होगी तथापि, यदि चयनित प्रतिशत की जाँच में कोई कमी पाई गई तो सभी आवेदन सम्बंधित कार्यालय को पुन: सत्यापन हेतु प्रेषित किये जायेगे।

(3) अभ्यर्थिता के अंतिम अनुमोदन की जानकारी वेबसाइट में विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध है। तथापि "admin" मॉडयूल के क्रंम संख्या 2 और 3 में दी गई प्रक्रिया का पालन करना है।

(4) इसके साथ ही अभ्यर्थी के पंजीकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है।

हस्ताक्षारित

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।
परीक्षा अनुभाग

2012 का परिपत्र संख्या. 23 जो कि पत्रांक 628/45-परीक्षा / परिपत्र/ पूरक/ 13 - 2012 एस.ए.एस./ दिनांक: - 12 - 10 - 2012 के अन्तर्गत जारी किया गया का हिन्दी अनुवाद।

विषय: - एस ए एस (पूरक). परीक्षा फरवरी 2013

महोदय/महोदया,

कर्मचारी नियुक्ति विंग के परिपत्र संख्या 34-कर्म नियु-I /2011 जो कि पत्रांक 938-कर्मचारी (नियु.)- I/2011 दिनांक 24-11-2011 के अन्तर्गत जारी किया गया था के सम्बन्ध में एसएएस (पूरक) परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च में आयोजित होनी है। तद्नुसार अगली एसएएस (पूरक) परीक्षा 26-2-2013 से 02-03-2013 तक आयोजित होंगी यह परीक्षा वर्तमान अभ्यर्थियों के लिए होगी अर्थात वे अभ्यर्थी जो एसएएस परीक्षा सितम्बर 2012 या पूर्व एसओजीई/एसएएस में सम्मिलित हुए परन्तु परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे। यह परीक्षा उन्ही कार्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए होगी जो परीक्षा अनुभाग के 2012 का परिपत्र संख्या 05 जो कि पत्रांक 203/5-परीक्षा/परिपत्र/2012 दिनांक 9-4-2012 के अर्न्तगत सितम्बर 2012 में एसएएस परीक्षा आयोजित हुई थी।

उल्लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का ऑन लाइन पंजीकरण 1-11-2012 से 15-11-2012 तक खुलेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए प्रयोक्त आई डी तथा कूट शब्द अलग से भेजे जा रहे हैं।

पुनः यह सूचित किया जाता है कि पी.सी.। भाषा कौशल के हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त परीक्षा के लिए कस्टमाइजड ले आउट की बोर्ड " रैमिंगटन" के साथ आमतौर पर प्रयोग होने वाला "अक्षर" फोन्ट उपलब्ध होगा। यह पहले ही सी.ए.जी. की बेबसाइट पर पी सी- । भाषा कौशल के अभ्यर्थियों की अभ्यास के लिए

डेमो टैस्ट में अपलोड किया हुआ है। डेमोटेस्ट बेबसाइट http/76.74.250.14/cagdtest पर मार्ग About us>otherwing>Examition द्वारा पहुँचा जा सकता है। यह दोहराया जाता है कि अभ्यर्थियों की सी.बी.टी. मोड द्वारा परीक्षा से परिचय कराने के लिए पी.सी.। भाषा कौशल के भाग "ब" (मसौदा एवं लेखन मौलिक योग्यताएं) सी.बी.टी. मोड से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

अभ्यर्थियों को तद्नूसार सूचित करें ।

हस्ताक्षरित

प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।

2012 का परिपत्र संख्या 22 जो कि पत्रांक सं. 621/4-परीक्षा/प्रोग्राम/एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई./2010 खंड -I दिनांक 09-10-2012 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

विषय- एस.ए.एस./राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षाएं।

पत्र संख्या 632-एन.जी.ई. (नियु.)/24-2010 दिनांक 02-06-2010 के अन्तर्गत जारी किए गए स्टाफ नियुक्ति विंग के परिपत्र सं. 17 एन.जी.ई/2010 की निरंतरता में अनुभाग अधिकारी ग्रेड/राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षाओं की नयी प्रणाली के संबंध में, एस.ए.एस./आर.ए.ई./आई.ई. परीक्षाओं में अटकलबाजी पर नियंत्रण के लिए सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। जहाँ अभ्यर्थी बहु विकल्प प्रश्नों (एस.सी.क्यू) के पर आधार जाँचे जाते हैं नकारात्मक अंकन सीमा 0.25 अंक (25%) होगी। नकारात्मक अंकन की प्रणाली वार्षिक एस.ए.एस./आर.ए. /आई.ई.2013 (मुख्य परीक्षा) से प्रारंभ होगी जो कि अगस्त/सितम्बर 2013 में होनी है। इसे व्यापक प्रचार दिया जाए।

इस परिपत्र की पावती भेजें।

हस्ताक्षरित

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।

2012 का परिपत्र संख्या 21 जो कि पत्रांक सं. 638/प्र. नि. (परीक्षा)/परिणाम /एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई./सितम्बर 2012, दिनांक 05/10/2012 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

विषयः- सितम्बर 2012 की एस.ए.एस./राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा के परिणाम।

आपको यह सूचित किया जाता है कि 11-09-2012 से 17-09-2012 तक आयोजित सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस./राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सभी संबंधित विभाग प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिणाम तथा अंक प्रति को डाऊनलोड करने के लिए निम्नलिखित वेब लिंकों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं -

http://examreg.cag.gov.in/cag_admin/

http://saiindia.gov.in/english/home/about_us/Other_Wings/Examination/Result/Result.html

प्रयोगकर्त्ता आई डी एवं कूट शब्द वही रहेगा जो कि अभ्यर्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन हेतु विभागीय प्रमुखों को भेजा गया था। हस्ताक्षरित हार्ड कापी अलग से भेजी जा रही है।

हस्ताक्षरित

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

2012 का परिपत्र संख्या 20 जो कि पत्रांक सं. 578/129-परीक्षा /एस.ओ.जी.ई./पाठ्यक्रम/संशो. /2009/खंड V - दिनांक 04/09/2012 के अन्तर्गत जारी किया गया है का हिन्दी अनुवाद।

------------------------- XX ---------------------------

विषयः- लेखा एवं हक कार्यालयों के वरि. ले.अ./ले.अ./स.ले.अ. के लिए प्रोत्साहन परीक्षा के प्रश्न-पत्र आई ई.- I लेखांकन प्रबंधन के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित।

पत्र संख्या 632 - एन.जी.ई.(नियु.)/24-2010 दिनांक 07-06-2010, के अन्तर्गत परिचालित् लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के व.ले.अ../ले.अ./स.ले.अ. के लिए प्रोत्साहन परीक्षा के प्रश्न-पत्र आई.ई.- I "लेखांकन प्रबंधन" अध्याय 2 एवं 3 में लिखित शीर्षक "बजट, अनुदान एवं विनियोजन" के स्थान पर क्रमशः "वित्तीय प्रबंधन की सामान्य प्रणाली" एवं "बजट संरूपण एवं परिपालन" पढ़े जाये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं. 535/45-परीक्षा पावती/सितम्बर/2012
दिनांकः- 17-08-2012

2012 का परिपत्र संख्या 19
(हिन्दी अनुबाद)

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए./आई.सी.आई.एस.ए. निदेशक (कार्मिक)

विषयः- सितम्बर, 2012 में होने वाली एस.ए.एस./आर.ए. एवं प्रोत्साहन परीक्षाओं के लिए प्रवेश -पत्र।

महोदय/महोदया,

सितम्बर, 2012 एस.ए.एस./आर.ए/ आई.ई. परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र तैयार हैं तथा निम्नलिखित लिंक से 21-08-2012 से 31-08-2012 तक डाउनलोड किए जा सकते है। एस.ए.एस. के प्रवेश पत्र की एक नमूना प्रतिलिपि संलग्न की है। प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी किए जाने है तथा अभ्यर्थी द्वारा सीधे डाउनलोड की अनुमति नही है। अभ्यर्थी को अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो जो कि 01-04-2012 से पहले की न हो, प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर चिपका कर हस्ताक्षर करने है। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व.ले.अ./ले.अ. प्रशासकीय भारसाधक द्वारा प्रमाणित किए जाने है। यह दो प्रतियों में है; एक अभ्यर्थी के लिए तथा दूसरी कार्यालय अभिलेख के लिए (कार्यालय प्रतियों)। प्रवेश पत्रों का मुद्रण 25 प्रवेश पत्रों के बैच में निम्नलिखित मार्ग पर क्लिक करके लिया जा सकता हैः

- लिंक http://examreg.cag.gov.in/cag_admin
- जैसे कि पहले सूचित किया गया है, अभ्यार्थिता के अनुमोदन के लिए "यूज़र आई. डी. एवं विभागाध्यक्ष पासवर्ड" का प्रयोग करें।
- लॉग इन के पश्चात एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई. मेनु बार में उपस्थित अभ्यार्थियों पर क्लिक करें।
- 25 प्रवेश पत्रों के बैच के मुद्रण के लिए "25 प्रवेश पत्रों के मुद्रण के लिए हाइपर लिंक O_24,25_49 …….. इत्यादिं" पर क्लिक करें।
- एक प्रवेश पत्र के मुद्रण के लिए, अभ्यर्थी के केवल सूची संख्या पर क्लिक करें।

प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर व.ले.अ./ले.अ. (प्रशासन) के प्रति हस्ताक्षर होने है। कृपया नमूना प्रति को परिचितीकरण के लिए पहले से पढ़ लिया जाए।

संलग्नकः- नमूना प्रवेश-पत्र

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं. 430/105-परीक्षा प्रोग्राम/तिथि-पत्र/2012
दिनांकः- 01-07-2012

2012 का परिपत्र संख्या 18
(हिन्दी अनुबाद)

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए./आई.सी.आई.एस.ए. निदेशक (कार्मिक)

विषयः- सितम्बर, 2012 में होने वाली एस.ए.एस./आर.ए. एवं प्रोत्साहन परीक्षाओं के लिए तिथि-पत्र।

महोदय/महोदया,

पत्र संख्या 226/45-परीक्षा/परिपत्र/2012 दिनांक 01-05-2012, के अन्तर्गत जारी किए गए परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 12 की निरन्तरता में दिनांक 11 सितम्बर, 2012 से 17 सितम्बर, 2012 तक आयोजित होने वाली सितम्बर, 2012 एस.ए.एस./आर.ए/प्रोत्साहन परीक्षाओं की तिथि पत्र संलग्न है।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

संलग्नक -तिथि-पत्र

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफरमार्ग नई दिल्ली-

सितम्बर, 2012 एस.ए.एस./आर.ए एवं प्रोत्साहन परीक्षाओं के लिए तिथि-पत्र

दिनांक/दिन	पूर्वाह्न सत्र (9:00 से 13:30)	अपराह्न सत्र (14: 00 से 18:30)
11-09-2012 मंगलवार	पी.सी. - 1 (1 पेपर)	आर.ए.ई.- I एवं आई.ई.- I पी.सी. - 27, 28 एवं 29 (5 पेपर)
12-09-2012 बुधवार	पी.सी.- 2 (1 पेपर)	पी.सी. - 8, 9, 10, 11 एवं 12 (5 पेपर)
13-09-2012 बृहस्पतिवार	पी. सी. -3, एवं आई.ई - 3 (2 पेपर)	पी. सी. - 13, 14 एवं 15 (3 पेपर)
14-09-2012 शुक्रवार	पी.सी.- 4 आई. ई - 4 (2 पेपर)	पी.सी.-16, 17,18,19 एवं 20 (5 पेपर)
15-09-2012 शनिवार	पी.सी.-5, 6, एवं 7 (3 पेपर)	पी.सी.- 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं आर.ए.ई - 4 से आर.ए.ई - 9 (12 पेपर)
16-09-2012 रविवार	अवकाश	अवकाश
17-09-2012 सोमवार	आर.ए.ई -2 एवं आर.ए.ई - 3 (2 पेपर)	आई.ई. - 2 (1 पेपर)

बैच टाईमिंग्स

दिनांक/दिन	पूर्वाह्न सत्र		अपराह्न सत्र	
	बैच - I	बैच - II	बैच - III	बैच - IV
11-09-2012 मंगलवार	9 : 00 से 11 : 30	शून्य	14 : 00 से 16.: 00	16 : 30 से 18 : 30
12-09-2012 से 17-09-2012	9 : 00 से 11 : 00	11 : 30 से 13 : 30	14 : 00 से 16 : 00	16 : 30 से 18 : 30

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं..489 /45-परीक्षा/परिपत्र/ 2010-2012
दिनांकः 01/08/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 17

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए. एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- दिनांक 11-09-2012 से 17-09-2012 तक आयोजित होने वाली एस.ए.एस./आर ए/ आई परीक्षा।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के 2012 के परिपत्र सं. 9, जो पत्रांक सं.217/परीक्षा/परिपत्र/2012 दिनांक 24-04-2012 के अन्तर्गत परिचालित किया गया था, की निरन्तरता में यह दोहराया जाता है कि एस.ए.एस अभ्यर्थियों को पी.सी.- I (भाषा कौशल) के भाग "बी" (मौलिक प्रारूप एवं लेखन योग्यताएं) सहित सी.बी.टी. मोड द्वारा परीक्षा से परिचय हेतु ऑनलाइन डेमो टेस्ट के अभ्यास के लिए उत्साहित करें। डेमो टेस्ट वेब साइट http://76.74.250.14/cagdtest पर उपलब्ध है जिसके लिए सी.ए.जी की वेबसाइट का मार्ग हमारे बारे में > अन्य विंग > परीक्षा- ऑनलाइन डेमो टेस्ट भी प्रयोग किया जा सकता है।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 301/45-परीक्षा/परिपत्र/ 2010-2012
दिनांकः 17/05/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 16

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- पी.सी.-4/आई.ई. -4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक) तथा पी.सी.-1, सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस. तथा प्रोत्साहन परीक्षा में सोफ्टवेयर का संस्करण।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस./प्रोत्साहन परीक्षाओं के पी.सी.-4/आई.ई.-4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक) प्रश्न पत्रों में परिचालन प्रणाली तथा सोफ्टवेयर क्रमशः Windows XP&MS Office 2003 होगे। अतः अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण तद्नुसार दिया जाय।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 260/45-परीक्षा/परिपत्र/ 2010-2012
दिनांकः 16/05/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 15

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- दिनांक 11-09-2012 से 17-09-2012 तक आयोजित होने वाली एस.ए.एस. परीक्षा।

महोदय/महोदया,

दिनांक 11-09-2012 से 17-05-2012 तक आयोजित होने वाली एस.ए.एस. परीक्षा के विषय में कर्मचारी नियुक्ति विंग ने अपने पत्रांक 436/कर्म (नियु.-I)/24-2010/kw-II दिनांक 14-05-2012 द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये हैं-

(अ) लेखा एवं हकदारी कर्मचारी जो पूर्व में सिविल आडिट परीक्षा में सम्मिलित हो चुके है परन्तु अनुत्तीर्ण रहे, सिविल एकाउन्ट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तथापि उनके एस.ए.एस (सिविल आडिट) परीक्षा में प्रयोग आये अवसरो को उनके शेष अवसरो के साथ गिना जायेगा। पुनः वे सिविल आडिट परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही होगे जब तक पितृत्व कार्यालय में सिविल एकाउन्टस परीक्षा खुली है।

(ब) लेखा एवं हकदारी कर्मचारी जिन्होने एस.ए.एस. सिविल आडिट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वर्तमान में आडिट आफिस में सम्भव समावेशन के लिए आडिट आफिस में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनको एस.ए.एस (सिविल एकाउन्टस) परीक्षा 2012 में बैठने की अनुमति नही है।

(स) लेखा एवं हकदारी कार्यालय के एस.ए.एस (सिविल आडिट) उत्तीर्ण कर्मचारी जिनका आडिट शाखा में समावेशन नही हुआ है सहायक लेखा अधिकारी में पदोन्नति के लिए एस.ए.एस (सिविल एकाउन्ट) के शेष प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करना होगा। तथापि ऐसे कर्मचारियों को एस.ए.एस (सिविल एकाउन्टस) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लिखित बचन देना होगा कि किसी भी आडिट आफिस में समावेशन के लिए अपने दावे को छोड देगे। पुनः उनके एस.ए.एस (सिविल आडिट) में प्रयोग में आये सभी अवसरो को शेष अवसरो के साथ गिना जायेगा।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 241/45-परीक्षा/परिपत्र/2010-2012
दिनांकः 07/05/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 14

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस. परीक्षा/आर.ए.परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियो के पंजीकरण का अनुमोदन।

महोदय/महोदया,

यह स्मरण कराया जाता है कि सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस./आर.ए/आई.परीक्षाओं के लिए पात्र अभ्यर्थियों के पंजीकरण किये जा रहे हैं और, जैसा कि परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 10 जो पत्रांक 221/45-परीक्षा/परिपत्र/ 2010 -12 दिनांक 27 - 04 - 2012 द्वारा सूचित किया गया था, 15 मई, 2012 तक पूर्ण हो जायेगे। विभागाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थन का अनुमोदन/अस्वीकृत क्रियाशील हो चुका है। उपरोक्त परीक्षाओ के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण का विभागाध्यक्षों द्वारा अनुमोदन 07- 05- 2012 से 15 -05 -2012 तक खुला होगा। यह प्रार्थना की जाती ही कि परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 11 और 13 जो कि क्रमशः पत्रांक 224/45-परीक्षा / परिपत्र / 2010 -2012 दिनांक 30 - 04 - 2012 तथा 236/45-परीक्षा/परिपत्र/2010 - 2012 दिनांक 02 - 05 - 2012 के अन्तर्गत जारी किये गये थे को इन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण का अनुमोदन करते समय ध्यान रखे।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 236/45-परीक्षा/परिपत्र/ 2010-2012
दिनांकः 02/05/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 13

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- सी.ए.जी. के एम.एस.ओ. (प्रशासनिक) खण्ड - I के पैरा 9.2.6 में दिये गये प्रावधान में छूट।

महोदय/महोदया,

सी.ए.जी. के एम.एस.ओ. (प्रशासनिक) खण्ड - I के पैरा 9.2.6 में दिये गये प्रावधान में छूट के सम्बन्ध में कर्मचारी नियुक्ति विंग के परिपत्र संख्या 116-कर्म.(नियु. I)/18-2010/के डब्ल्यू दिनांक 17-02-2012 के निरन्तरता में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वे अभ्यर्थी जिन्होने दो वर्ष की लगातार सेवा पूरी नही की है और परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक सितम्बर, 2012 में एस.ए.एस. मुख्य परीक्षा प्रारम्भ होने तक पूरी नही की है सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस. परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है।

क्योकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त परीक्षा के लिए अभी पंजीकरण हो चुका होगा अतः यह सुनिश्चित करें कि उन अभ्यर्थियों का विभागाध्यक्षों द्वारा अभ्यर्थन रद्द कर दिया है जिन्होने सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस. की मुख्य वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने तक दो वर्षों की लगातार सेवा/परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी नही की है।

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 226/45-परीक्षा/परिपत्र/ 2012
दिनांकः 01/05/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 12

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- अगस्त/सितम्बर, 2012 में एस.ए.एस.परीक्षा/राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा का आयोजन।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 06 जो कि पत्रांक 204/45-परीक्षा/पंजी (वार्षिक)/ एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा/2010 (खण्ड- II) दिनांक 09-04=2012 के द्वारा जारी किया गया था के निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि आगामी एस.ए.एस./आर.ए./आई. परीक्षा 11 सितम्बर, 2012 से 17 सितम्बर, 2012 तक आयोजित होगी।
तिथि वार कार्यक्रम बाद, में सूचित किया जायेगा।

इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 224/45-परीक्षा/परिपत्र /2010-2012
दिनांकः 30/04/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 11

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

वियषः- राजस्व लेखाापरीक्षा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता।

महोदय/महोदया,

कर्मचारी नियुक्ति विंग ने अपने परिपत्र संख्या 16/कर्म (नियुक्ति- I)2012 जो पत्रांक 350-कर्म. (नियुक्ति- I)/1-2006/ के डब्ल्यू- I दिनांक 27-04-2012 के अन्तर्गत जारी किया था (भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों को ई-मेल द्वारा प्रेषित)द्वारा सितम्बर, 2012 में आयोजित होने वाली राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए मापदण्ड निर्धारित किये है। अतः यह सुनिश्चित करे कि सितम्बर, 2012 मे होने वाली राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में वे ही अभ्यर्थी पंजीकरण करे जो इन मापदण्डों को पूरा करते हो। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से यह प्रार्थना की जाती है कि वे यह सुचिश्चित करे कि मापदण्डों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही पंजीकरण करे। जो अभ्यर्थी उपरोक्त मापदण्डों को पूर्ण नही करते है उनके पंजीकरण का अनुमोदन न करे/रद्द कर दें। सितम्बर, 2012 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस/आर.ए.ई./आई परीक्षा के पंजीकरण की तिथि पहले ही 15-5-2012 तक बढा दी गयी हैं जैसा कि परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 10 जो कि पत्रांक 221/45-परीक्षा/परिपत्र 2010-12 दिनंक 27-04-2012 द्वारा जारी है के द्वारा सूचित कर दिया गया है।

परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।
परीक्षा अनुभाग

संख्या. 221/45-परीक्षा/परिपत्र/2010-2012
दिनांक: - 27 - 04 - 2012

2012 का परिपत्र संख्या 10

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय आर.टी.आई/आर.टी.सी/एन.ए.ए.ए. शिमला/आई सी आई एस ए/ निदेशक (कार्मिक)

विषय : - एस ए एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा सितम्बर, 2012 के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण की तिथि का विस्तार।

महोदय/महोदया,

सितम्बर 2012 में होने वाली एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा के लिए कुछ क्षेत्रीय कार्यालयो ने प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन नही किया गया था अतः परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र सं. 06, जो पत्रांक 204/105-परीक्षा/पंजी (वार्षिक)/आर.ए./आई.ई./2010-2012 दिनांक 09-04-2012 के द्वारा परिचालित किया गया था, में सूचित की गई अन्तिम तिथि 27-04-2012 को सितम्बर 2012 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई. के पंजीकरण की अन्तिम तिथि को 15-05-2012 तक बढ़ाया गया है।

इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

संख्या. 217/परीक्षा/परिपत्र/2012

दिनांक: - 24 - 04 - 2012

2012 का परिपत्र संख्या 09

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय आर.टी.आई/आर.टी.सी/एन.ए.ए.ए. शिमला/आई सी आई एस ए/ निदेशक (कार्मिक)

विषय : - एस ए एस./प्रोत्साहन परीक्षा सितम्बर, 2012 पी.सी.- I तथा पी.सी. -4 /आई.ई.-4 के बाबत ।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के 2012 के परिपत्र सं. 5, जो पत्रांक 203/105-परीक्षा/परिपत्र/2012 दिनांक 09-04-2012 के अन्तर्गत परिचालित किया गया था, के निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि पी.सी.- I, भाषा कौशल के हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एस.ए.एस.परीक्षा, सितम्बर, 2012 में परीक्षा के लिए कस्टमाईजड ले आउट की बोर्ड "रैमिंगटन" के साथ आम तौर पर प्रयोग होने वाला "अक्षर" फोन्ट उपलब्ध होगा। यही फोन्ट तथा कस्टमाइजड ले आउट की बोर्ड पहले ही सी.ए.जी को बेबसाइट पर पी.सी.- I भाषा कौशल के अभ्यर्थियों को अभ्यास के लिए

डेमो टैस्ट में अपलोड किया हुआ है। डेमो टेस्ट बेबसाइट http/76.74.250.14/cagdtest, पर मार्ग About Us > Other Wings > Exaination. द्वारा पहुंचा जाता है। यह दोहराया जाता है कि अभ्यर्थियों को सी.बी.टी.मोड द्वारा परीक्षा से परिचय कराने के लिए, पी.सी.- I भाषा कौशल के भाग "बं" मसौदा तथा लेखन योग्यताएं भी सी.बी.टी मोड से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें।

पुनः अभ्यर्थियों के लिए सह भी सूचनार्थ है कि पी.सी.- I की परीक्षा देते समय टैब एवं कन्ट्रोल की कट, कापी एवं पेस्ट कमान्डस को पी.सी.- I भाषा कौशल के प्रश्न-पत्र की परीक्षा के समय निष्क्रय कर दिया जायेगा। टूल बाक्स में दर्शाया गया इन्टैन्ट वटन का प्रयोग पैरो के बीच की जगह बढाने या घटाने में किया जाता है।

पी.सी.- 4 /आई.ई.- 4 सूचना तकनीकि (व्यवहारिक)प्रश्न-पत्र में भी शार्ट कट कीज जैसे Ctrl Key भी निष्क्रय रहेगा।

सितम्बर, 2012 की एस.ए.एस./आई.ई/परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 216/105 परीक्षा/ परिपत्र /2012
दिनांकः 24/04/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 08

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए शिमला/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयं : - राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा -सितम्बर, 2012

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के 2012 के परिपत्र संख्या 5 जो पत्रांक 203/105-परीक्षा/ परिपत्र/2012 दिनांक 09-04-2012 के द्वारा परिचालित है के निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि आर.ए.ई.- I "आयकर" तथा आर.ए.ई. - II केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा सेवाकर के बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमशः वित्त अधिनियम 2011-12 तथा उत्पाद शुल्क & सीमाकर टेरिफ, 2011-12 पर आधारित होगे।

सितम्बर 2012 में राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित कर दे।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली</u>

ईमेल

परीक्षा अनुभाग

<u>2012 का परीक्षा परिपत्र सं.07</u>

सं. 213/35- परीक्षा /2008 /V

दिनांक 16. 04.2012

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग के सभी अधिकारी (अधीनस्थ कार्यालयों सहित) (डाक सूची के अनुसार)

विषय :-सितम्बर, 2012 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परीक्षार्थियों के लिए छूट स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एंव लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था., (आरईएस) खण्ड II के अन्तर्गत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने सितम्बर, 2012 में आयोजित होने वाली निर्धारित एसएएस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणियों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को अनुमत किए जाने वाली छूट की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि छूट की सीमा निम्न प्रकार होगी।

एसएएस समूह –I और II के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की छूट होगी। दूसरे शब्दों में उन परीक्षार्थियों को जो विशेष प्रश्न पत्र में

45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में छूट के साथ साथ उत्तीर्ण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अकों की छूट प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त छूट सितम्बर, 2012 में अयोजित होने वाली एस.ए.एस. परीक्षा के लिए हैं। अनुजाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार की छूट की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आयोजन से पूर्व किया जायेगा।

इस छूट के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त छूट के बारे में सूचित कर दिया जाए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेंजे।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।
परीक्षा अनुभाग

संख्या. 204/45-परीक्षा/पंजी (वार्षिक) /एस.ए.एस./
आर ए/आई ई. /2010/खण्ड-II
दिनांक: - 09 - 04 - 2012

2012 का परिपत्र संख्या 06

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
आर.टी.आई/ आर.टी.सी/ आई.सी.आई.एस.ए./ लेखा एवं लेखापरीक्षा राष्ट्रीय अकादमी/ निदेशक (कार्मिक)

(विदेशों में स्थित कार्यालयों को छोड़कर)

विषय :- सितम्बर 2012 में होने वाली वार्षिक एस ए एस./आर.ए./आई. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2011 के परिपत्र संख्या 26 जो कि पत्रांक सं.1052/परीक्षा/परिपत्र/2011 दिनांक 17-11-2011 के अन्तर्गत जारी किया गया था के निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि अगली वार्षिक एस.ए.एस./आर.ए./आई परीक्षा सितम्बर 2012 में आयोजित होगी। परीक्षा संचालन की सही तिथियां यथा समय पर अधिसूचित की जाएगी।

2. उपरोक्त परीक्षाओं के लिए सम्भावित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 16/04/2012 से 27-04-2012 तक के लिए खुला होगा। क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन

है इसमें की गई प्रविष्टियों के साथ पंजीकरण को पुनः खोले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए महत्व दिया जाता है कि अभ्यर्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन एवं सुनिश्चय सेवा पुस्तिका और इस सम्बन्ध में दूसरे अभिलिखों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किए जाने के समान माना जाएगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने -अपने कार्यालयों, जिससे वे सम्बन्धित हैं, में उनके आवेदन पत्रों को भरवाकर ऑन लाइन पंजीकृत कर दिया जाएगा। अपने-अपने कार्यालयों के वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (प्रशासन) अथवा वरिष्ठ लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) अभ्यर्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे तथा अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विवरणों की यथातथ्यता को सुनिश्चित करेगें इस से न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और यह निवेश नियन्त्रण के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट की सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित कम्प्यूटरों को पृथक/उद्दिष्ट करना चाहिए।सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण के लिए तथा अभ्यावेदन के अनुमोदन, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा के, कूटशब्द उत्पन्न किये जा चुके हैं और अलग से सम्प्रेषित किए जायेंगे।

4. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के बाद भी अपूर्ण/गलत/विलम्बित पंजीकरण के कुछ मामले देखने में आये। पंजीकरण विवरणों की जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ प्रश्न पत्रों में छूट का दावा करते समय कुछ अभ्यर्थियों ने एस.ओ.जी.ई/एस.ए.एस.परीक्षा का सम्बन्धित सूचकांक संख्या तथा वर्ष सही ढंग से नहीं भरा था यद्यपि पंजीकरण फार्म में परीक्षा का सूचकांक संख्या तथा वर्ष लिखने के लिए पाँच बाक्सों का प्रावधान था। कुछ मामलो में एस.ओ.जी/एस.ए.एस.परीक्षा में छूट के दावे नान एस.ए.एस. दावों

(सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू ए.आदि) के लिए बनाये गये फील्ड में भरे गये कुछ अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र जारी होने के बाद विभिन्न विषयों में छूट के दावे किये। इस सभी से यह संकेत मिलता है कि अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये आवेदनों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ठीक से जाँच नहीं की गई है इसे नही दोहराया जाना चाहिए । इसलिए कृपया अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए किः-

(i) अभ्यर्थी का पूरा नाम और उसका पितृत्व सेवा पुस्तिका के अनुरूप ही दर्ज किया गया है

(ii) अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ब्यौरा प्रशासन ने विधिवत जाँच लिया गया हैः विशेष रूप से सूचकांक संख्या/वर्ष/शाखा जिसमें कि वह बैठा है और छूट का दावा। एस.ए.एस./एस.ओ.जी.ई. तथा नॉन एस.ए.एस से संबंधित छूट के दावो का विवरण ठीक ठीक फील्ड़ में भरे गये है।

(iii) अभ्यर्थी अपने-अपने कार्यालयों से जिससे कि उनका संबंध है से पंजीकृत होने चाहिए। जिस फोटो को अपलोड किया जा रहा है वह मार्च 2012 से पूर्व का नही होना चाहिए।

(iv) यदि किसी कार्यालय विशेष से पंजीकृत होने बाद किसी भी अभ्यर्थी का स्थानान्तरण दूसरे कार्यालय में हो जाता है तो उसके स्थानान्तरण के विषय में मुख्यालय को तुरन्त सूचित करें

5. उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश/चरण केन्द्रों की सूची सहित संलग्न हैं।

6. इसके अतिरिक्त, स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासकीय) के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचों को समुदाय, दावा की गई छूटों आदि जैसी

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना के पूर्ण सत्यापन के अलावा विभागाध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना है।

7. दिनांक 09-04-2012 को जारी परीक्षा अनुभाग के 2012 के परिपत्र संख्या 05 के अनुसार सितम्बर 2012 में सिविल आडिट एस.ए.एस. परीक्षा लेखा एवं हक कार्यालयों के सभी पात्र ग्रुप "बी" तथा ग्रुप "सी" कर्मचारियों तथा तदर्थ स.ले.अ. के लिए खुली है। नये नियमित तथा अस्थायी नियमित लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के स. ले.अ. सितम्बर 2012 की एस.ए.एस. की सिविल आडिट परीक्षा देने के पात्र नही हैं। तथापि लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के नियमित और अस्थायी नियमित स.ले.अ. जो एस.ए.एस.सिविल आडिट में नवम्बर 2010,या अगस्त 2011 या मार्च 2012 में सम्मिलित हो चुके है सितम्बर 2012 में एस.ए.एस. सिविल आडिट परीक्षा देने के पात्र है।

परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

अनुलग्नकः- उपर्युक्तानुसार

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

वार्षिक अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा /राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा /प्रोत्साहन परीक्षा 2012 - अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश

(अ) अभ्यर्थियों का पंजीकरण -(रजिस्ट्रेशन माडयूल)

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/ वेब पते पर लॉग ऑन/प्रवेश करें।

(2) प्रणाली आपके कार्यालय कोड एवं कूटशब्द के लिए पूछती है। कृपया उन्हें दर्ज करें। कार्यालय कोड और कूटशब्द अलग से ई-मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में महत्वपूर्ण आवश्यक सारी जानकारी हेतु लाल तारांकन का संकेत दिया गया है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक कि लाल तारांकन वाली सारी जानकारी भरी न जा चुकी हो।

(4.) मार्च 2012 (पूरक) या अगस्त 2011 या नवम्बर 2010 की सी बी टी प्रणाली में पंजीकृत अभ्यर्थी अपनी नवीनतम सूचकांक संख्या सी बी टी मार्च 2012 (पूरक) या सी.बी.टी. अगस्त 2011 या सी बी टी नवम्बर 2010, जैसा भी हो, दर्ज करें। जन्म दिन का चयन करें और प्रस्तुत(Submit) बटन दबाएं। उसके बाद जैसा पूछा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(5.) परीक्षार्थी जो पूर्व की अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा मे बैठे थे और सी बी टी नवम्बर 2010 या सी बी टी अगस्त 2011 या सी.बी टी मार्च 2012में नही बैठे है उनका अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा की सूचकांक संख्या,वर्ष और माह की प्रविष्टि कर "प्रस्तुत नया पंजीकरण (submit new registeration)" बटन को दबाएं। तब जैसा कहा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(6.) "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाने से पहले अभ्यर्थी अपनी जानकारी का सूक्ष्म विवेचन कर लें। यदि किसी जानकारी को संशोधित करना हो तो ऐसा करने के लिये "सम्पादित (Edit)" बटन दबायें। यदि सम्पादित किया जाए तो हस्ताक्षरित फोटो को एक बार फिर "ब्राऊस (Browse)" बटन का प्रयोग करके संलग्न करें। **दोहराने के लिये; यदि किसी भी जानकारी को संशोधित/सम्पादित किया जाता है तो हस्ताक्षरित फोटो को ब्राऊस बटन का प्रयोग करके पुनः संलग्न/अपलोड करें।** एक बार प्रस्तुत करने पर, संशोधन पंजीकरण के स्तर पर पंहुच कर संशोधन नही किया जा सकता।

(7) एक बार अभ्यर्थी "प्रस्तुत (Submit) बटन दबाता है प्रणाली आवेदन को अंतिम रूप समझती है और अभ्यर्थी का एस.ए.एस. के लिए "एस" आर.ए. के लिए आर तथा आई. ई के लिए आई उपसंर्ग लगाकर सूचकांक संख्या बना देता है।

(8) सूचकांक संख्या अभ्यर्थी द्वारा नोट किया जाये जो कि भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी है और विन्डो बंद कर दें। इससे अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

(9) वैकल्पिक जानकारी जैसे ई-मेल पता, मोबाईल फोन नम्बर तथा कार्यालय पहचान पत्र संख्या सही ढग से लिखें जिससे प्रवेश पत्र के जनन तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने के लिए संदेश भेजने की सुविधा दी जा सके ।

(10) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। याद रहे, एस.ए.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नवम्बर 2010 से केवल छह प्रयास ही अनुमेय है। इसलिए, केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकरण करे जो परीक्षा देने के

लिए तैयार हैं। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण हो गया तो अभ्यर्थिता से वापसी अनुमेय **नहीं** है।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन (प्रशासनिक मॉडयूल)

(1) विभागाध्यक्ष को सीएजी की एमएसओ (प्रशासनिक) खण्ड -I के अध्याय 9 के अनुसार छूट की अनुमति सहित अच्छी तरह से जाँच कर लेनी चाहिए।

(2) प्रणाली आपका प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूट शब्द पूछती है। प्रयोक्ता आई. डी. "cag" है तथा कूट शब्द अलग से भेजा जा रहा है। कृपया उन्हें दर्ज करें। विभागाध्यक्ष प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूटशब्द को बदल सकता है।

(3) विभागाध्यक्ष (HOD) अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी का विवरण देख सकते है। प्रणाली उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या को उनकी सूचकांक संख्या के साथ दिखाती है।

(4) विभागाध्यक्ष अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या तथा स्क्रीन पर उपलब्ध छूट का उत्पत्ति स्थान पर क्लिक करके अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट की गई छूट के दावो का सत्यापन ऑन लाइन कर सकते है।

(5) विभाग प्रमुख "सम्पादन (Edit)" मेनू के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी को संशोधित कर सकते है।

(6) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्पादन हेतु http://examreg.cag.gov.in/cag-admin वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(7) दिये गये विस्तृत विवरण के सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। यह अभ्यर्थी के आवेदन के लिए विभाग प्रमुख के अनुमोदन को पूरा करता है।

(8) कोई भी स्पष्टीकरण गैर अनुमोदित अभ्यर्थी सहित अभ्यर्थी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत विभाग प्रमुख को "admin" मॉडयूल पर दोबारा से जाकर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का अनुमोदन कर सकते है।

(स) मुख्यालय मापांक

(1) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए वेब पते पर ही किसी दूसरे प्रयोक्ता आई.डी" एवं कूटशब्द द्वारा प्रधान निदेशक (परीक्षा) उपयोग करते हैं।

(2) मुख्यालय में जाँच कम से कम रखी जाएगी क्योंकि विभागाध्यक्ष द्वारा सभी आवश्यक जाँच की जा चुकी होगी तथापि, यदि चयनित प्रतिशत की जाँच में

कोई कमी पाई गई तो सभी आवेदन सम्बंधित कार्यालय को पुन: सत्यापन हेतु प्रेषित किये जायेगे।

(3) अभ्यर्थिता के अंतिम अनुमोदन की जानकारी वेबसाइट में विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध है। तथापि "admin" मॉडयूल के क्रंम संख्या 2 और 3 में दी गई प्रक्रिया का पालन करना है।

(4) इसके साथ ही अभ्यर्थी के पंजीकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

सितम्बर -2012, एस ए एस/आर.ए./आई परीक्षा के लिए केन्द्रों की सूची

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. बैंगलौर
5. भोपाल
6. भुबनेश्वर
7. चण्डीगढ
8. चैन्नई

भुवनेश्वर में कटक

9. देहरादून

मुम्बई में गोवा

10. गैंगटोक
11. गोरखपुर
12. ग्वालियर
13. गोवाहाटी
14. हैदराबाद
15. इम्फाल
16. जयपुर
17. जम्मू

18 कोची

19 कोलकाता

20. कोहिमा

चंडीगढ में कपूरथला
थ्रीशर में कोजीकोड

21. लखनऊ
22. मुम्बई
23. मदरै

24 नागपुर

25. नई दिल्ली
26. पुणे
27. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

28. रांची
29. रायपुर

30. राजकोट
31. शिलांग
32. शिमला
33. श्रीनगर
34. थ्रीशर
35. तिरूवन्नतपुरम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2012 का परिपत्र सं. -05

सं.203/105-परीक्षा/परिपत्र/2012

दिनांक 09-04-2012

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे. प्र.के. /रा.ले.एवं ले.प./अकादमी शिमला /आईसीआईएसए
नौएडा/प्र.नि. (पी पी जी) एवं निदेशक (कार्मिक)

विाय :- एस.ए.एस./राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा-सितम्बर 2012

महोदय/महोदया,

सितम्बर 2012 में अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा, राजस्व लेखापरीक्षा और प्रोत्साहन परीक्षा निम्नलिखित कार्यालयों में आयोजित करने का निर्णय किया गया हैः-

(अ) लेखापरीक्षा कार्यालय-

(1) राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आर.ए.ई.) सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(2) एस.ए.एस. परीक्षा (सभी श्रेणियों के लिए) निम्नलिखित दो रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों जहां यह परीक्षा केवल अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होगी को छोड कर सभी लेखापरीक्षा कार्यालयो में आयोजित होगी।

(i) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे चेन्नैई - (केवल अनुसूचित जनजाति के लिए)

(ii) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वी रेलवे, कोलकत्ता - (केवल अनुसूचित जनजाति के लिए)।

(ब) लेखा एवं हकदारी कार्यालय-

(1) प्रोत्साहन परीक्षा (आईई) लेखा एवं हकदारी के सभी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(2) एस.ए.एस. परीक्षा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी-

कार्यालय जहां परीक्षा सभी श्रेणियों के लिए आयोजित की जाएगी	कार्यालय जहां परीक्षा केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित की जाएगी	कार्यालय जहां परीक्षा केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित की जाएगी
म. ले (ले.हक.) गुजरात, राजकोट प्र. म.ले.(ले.एवं हक.)मिजोरम व.उ.म.ले.(ले.एवं हक.)सिक्किम महालेखाकार (ले.एवं हक) छत्तीसगढ़ म.ले.(ले.एवं हक) उत्तराखण्ड म.ले.(ले.एवं हक.) बिहार व.उ.म.ले.(ले.एवं हक.)नागालैण्ड म.ले.(ले.एवं हक.) मेघालय म.ले.(ले.एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश व.उ. म.ले.(ले.एवं हक.) मणिपुर	प्र. म.ले.(ले.एवं हक.)- I महाराष्ट्र, मुम्बई म.ले. (ले.एवं हक.) - II महाराष्ट्र, नागपुर म.ले. (ले.एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, शिमला म.ले.(ले.एवं हक.) पश्चिम बंगाल, कोलकाता प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद महालेखाकार (ले.एवं हक) केरल महालेखाकार (ले.एवं हक) हरियाणा प्र. महालेखाकार (लेखा एवं हक) कर्नाटक बैगलोर	प्र. म.ले.(ले एवं हक.)- I उत्तर प्रदेश, इलाहबाद म. ले.(ले.एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला म.ले.(ले.एवं हक.)- I मध्य प्रदेश ग्वालियर म.ले.(ले.एवं हक.) पंजाब, चण्डीगढ प्र. म.ले.(ले.एवं हक.) असम, गुबाहाटी प्र.म.ले.(ले.एवं हक.)तमिल नाडु, चेन्नैई म.ले.(ले.एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर,श्रीनगर

(3) एस.ए.एस. परीक्षा निम्नलिखित लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में आयोजित नहीं की जाएगी-

म.ले. (ले.एवं हक.) झारखण्ड,
प्र. म.ले. (ले.एवं हक.) राजस्थान,
प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) ओड़िशा,

(स)

एस.ए.एस. (सिविल लेखापरीक्षा) लेखा एवं हकदारी के कर्मचारियों के लिए- यह नियमित तथा अस्थायी नियमित स.ले.अ. को छोडकर लेखा एवं हकदारी कार्यालयो के सभी पात्र वर्ग "ब" तथा "स" कर्मचारियो एवं तदर्थ स. ले.अ. के लिए खुला है। तथापि नियमित एवं अस्थायी नियमित स.ले.अ. जो पूर्व वर्षों में एस.ए.एस. (लेखापरीक्षा) में सम्मिलित हो चुके है तथा कुछ प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने शेष है तथा 6 अवसर भी पूर्ण नही हुए है 2012 की एसएएस (लेखापरीक्षा) परीक्षा में बैठने की अनुमति है। सभी कर्मचारी लिखित में यह बचन-पत्र देगें कि एस.ए.एस. (लेखापरीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर लेखापरीक्षा कार्यालय के लिए अंतरण (Switch over) करेगें यह बचन-पत्र परीक्षार्थियों से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व प्राप्त कर लिया जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-

परीक्षा अनुभाग

सं. 148/131-परीक्षा/प्रोग्राम/मार्च-2012 एस.ए.एस.(पूरक)/2011
दिनांकः 16-02-2012

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

एस ए एस परीक्षा (अनुपूरक) मार्च 2012 के लिए प्रवेश पत्र

महोदय/महोदया

एस ए एस परीक्षा (अनुपूरक) मार्च 2012 के लिए प्रवेश पत्र तैयार है तथा 16 फरवरी से 29 फरवरी 2012 तक निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रवेश पत्र की नमूना प्रति संलग्न है। प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे तथा अभ्यर्थियों प्रवेश-पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना वर्तमान का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि दिसम्बर 2011 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, चिपका कर उस पर अपने हस्ताक्षर करें। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्रशासन के प्रभारी अधिकारी Sr.AO/AO द्वारा सत्यापित होने चाहिए। यह दो प्रतियों में है, एक प्रति अभ्यर्थी के लिए है तथा दूसरी कार्यालय अभिलेख (कार्यालय प्रति) के लिए है प्रवेश पत्रों का प्रिन्ट (एक क्लिक में 25 प्रवेश पत्र) निम्न मार्ग से किया जा सकता है।

- Link http://examreg.cag.gov.in/cag.admin
- पूर्व सूचित अभ्यर्थतां का अनुमोदन करने के लिए यूजर ID तथा HOD Password का प्रयोग करे।
- लॉग इन के बाद मीनू बार में SAS candidates पर क्लिक करे।

- 25 प्रवेश पत्र प्रिन्ट करने के लिए हाइपर लिकं 0-24,25,49 - - - क्लिक करे।
- एक प्रवेश पत्र का प्रिन्ट लेने के लिए अभ्यांर्थी के Index Namber पर क्लिक करे।

प्रवेश पत्रो पर उपलब्ध स्थान पर व.ले/लेप.अ./ले./लेप./अ (प्रशासन) के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। नमूना प्रतिलिपि को अग्रिम में परिचय होने के लिए अच्छी प्रकार देख ले।

भवदीय

संलग्न - नमूना प्रवेश पत्र

(कर्ण सिह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

Comptroller and Auditor General of India

Admit Card for March 2012 SAS Examination(Supplementary) Online Test (Candidate's Copy)

This Admit Card consists of 3 pages including instructions.

Index Number	Sxxxxxxxxxxxxx	Please Affix your recent passport size photo taken not before 1-Dec-2011.	Uploaded photo
Password	xxxxxx		
Name	xxxxxxxxxxxxxx		
Date Of Birth	xxxxxxxxxxxxxx		
Office Name & Code	xxxxxxxxxxxxxx	**Test Center Name & Address:** Asia-Pacific Institute Of Management 3 & 4 Institutional Area, Jasola (Opp. Sarita Vihar), New Delhi - 110025	
Icard	xxxxxxxxxxxxxx		
Group	xxxxxxxxxxxxxx		
Branch	xxxxxxxxxxxxxx		

Group I	
Date & Time	**Subject**
13-Mar-2012 14:00 - 16:00 hrs	PC-4: Information Technology (Practical)(all branches)
14-Mar-2012 14:00 - 16:00 hrs	PC-3: Information Technology(Theory)(all branches)
15-Mar-2012 14:00 - 16:00 hrs	PC-2: Logical, Analytical and Quantitative abilities(all branches)
16-Mar-2012 14:00 - 16:00 hrs	PC-5: Constitution of India, Statutes and Service Regulations (Civil Accounts, Civil Audit, Local Audit, P&T Audit and Commercial Audit)
Group II	
14-Mar-2012 11:30 - 13:30 hrs	PC-16: Public Works Accounts (Civil Accounts, Civil Audit & Local Audit)
15-Mar-2012 11:30 - 13:30 hrs	PC-14: Financial Accounting with Elementary Costing(Civil Audit, Local Audit, Defence Audit, Railway Audit & P&T Audit)
16-Mar-2012 11:30 - 13:30 hrs	PC-22: Government Audit (Civil Audit & Local Audit)
17-Mar-2012 09:00 - 11:00 hrs	PC-8: Financial Rules and Principles of Government Accounts (Civil Accounts, Civil Audit and Local Audit)

Candidate's full signature in presence of Sr.AO/AO/Admin OR Equivalent in case of deputationist.

(Signature of Candidate)	**(Signature of Sr.AO / AO /Admin OR Equivalent in case of deputationist)**

परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश

- परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले रिपोर्ट करें । परीक्षा केन्द्र का पता प्रवेश पत्र पर अंकित है। यह आपके स्वयं के हित में होगा कि आप परीक्षा की तिथि से पहले केन्द्र के स्थान से परिचित हो जाएं।
- आप कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा दे रहे है। परीक्षा केन्द्र में आपको अपना आई डी प्रमाण और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सत्यापन के बाद आपको पंजीकृत कर दिया जाएगा और एक विशेष कम्प्यूटर कार्य स्टेशन नियत कर दिया जाएगा। अभिकर्ता आपको कार्य स्टेशन के प्रति मार्ग दर्शन करेगें।
- कार्य स्टेशन जहाँ पर आपको परीक्षा देने की प्रत्यासा की जाती है,पर पेन्सिल और पेन को छोड़कर कोई अन्य सामान न ले जाएं।
- केलकूलेटर,पेजर,सेल्युलर फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा कक्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- रजिस्ट्रेशन डेस्क पर कार्य करने के प्रयोजन से एक लिखाई पेड उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आठ पृष्ठ होगें और कोई अतिरिक्त पेड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- परीक्षार्थी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी)प्रणाली से परिचित होने के लिए http://76.74.250.14/cagdtest/ वेबसाइट का निरीक्षण करें। प्रतिदर्शमानक परीक्षा प्रश्नपत्रों को केग के वेबसाइट http://www.cag.gov.in में भी अपलोड किया गया है। इसे प्राप्त करने लिए About us → Other Wings → Exam → Online Demo Test.
- लिए आपको परीक्षा सत्र से बहिष्कृत करने और सीसीएस (सीसीए) नियमावली के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकृत हैं
  - दुर्व्यवहार/बाधा उत्पन्न करना या अन्य परीक्षा देने वाले से बात चीत करना या अनुचित परीक्षार्थी होना/बनना।
  - किसी अन्य की ओर से परीक्षा देने या किसी अन्य से अपने लिए परीक्षा दिलवाने की कोशिश करना।
  - कम्प्यूटर प्रणाली चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्ऊटवेयर ,के साथ मनमाना पन दिखाना।
  - लिखाई पेड को अदला बदली करना/फड़ना या केलकूलेटर,स्लाइड रूल,पेजर,सेलफोन,गुप्त माइक्रोफोन,वायरलेस साधन अथवा किसी अन्य सामग्री जो प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक हो,का उपयोग करते हुए पाया जाना।

परीक्षा के विषय में सूचना

- पीसी I जो 150 मिनट की अवधि का ओर बाकी सभी सीबीटी 120 मिनट के है। परीक्षा के दौरान कोई अवकाश अनुमत नहीं है। परीक्षार्थी को पूरे समय के लिए परीक्षा कक्ष में ठहरना होगा।
- प्रश्न अंग्रेजी और हिन्दी दोनों (द्विभाषीय)भाषाओं में होंगे। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद की तुलना में हिन्दी अनुवाद में कोई अन्तर अथवा सन्देह होता हो,तो प्रश्न के हिन्दी अनुवाद पर अंग्रेजी अनुवाद प्रबल रहेगा।
- प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पों द्वारा अनुसरित है, उस विकल्प को चुने जो सबसे अधिक उपयुक्त हो। अपने उत्तर को उस विकल्प के घेरे पर क्लिक करें जिसे आप उपयुक्त सर्वोत्तम समझें।
- प्रश्न संख्या पर क्लिक करके आप किसी भी प्रश्न पर जा सकते जो स्क्रीन के निचले भाग पर दिखाई हैं। उत्तर दिये गये प्रश्नों की संख्या एक विशेष रंग होगा और उत्तर न दिये या छोड़े गये प्रश्नों की संख्या का रंग अलग होगा। दोनों के रंग स्क्रीन के निचले भाग में होंगे।
- यदि आप उत्तर से सन्देहास्पद है, आप पुनरीक्षण के लिए प्रश्न को चिन्हित कर सकते हैं जो प्रश्न संख्या के नीचे '^'से दिखाए गए हैं। आप अचिन्हित पुनरीक्षण बटन पर क्लिक करके पुनरीक्षण के अधीन प्रश्न को अचिन्हित कर सकते हैं।
- यदि आप किसी प्रश्न के उत्तर को बदलना चाहते तो आप प्रश्न का चयन करें और उपयुक्त उत्तर पर क्लिक करके उत्तर बदल सकते हैं।
- स्क्रिन के ऊपरी भाग में काल समसूचक प्रदर्शन पूरी परीक्षा के दौरान समय को दर्शाता रहेगा। निर्धारित समय समाप्त हो जाने पर परीक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- यदि आप अपनी परीक्षा निर्धारित समय से पहले समाप्त करते हैं, तो आपको एक समर्थन पृष्ठ मिलेगा जो आपको या तो परीक्षा में पीछे जाने या परीक्षा को समाप्त करने के दो विकल्प देगा।
- यदि शेष समय में आप प्रश्न का पुनरीक्षण करना चाहते तो आप कर सकते हैं अन्यथा परीक्षा को समाप्त करके प्रस्तुत कर सकते हैं।
- सुनिश्चित करें कि समाप्ति के संकेत के रूप में आप सबमिट पर ही क्लिक करते है। कृपया,सबमिट क्लिक करने से पहले सुनिश्चित हो जाए कि आपने परीक्षा पूरी कर ली है। सबमिट करने के बाद परीक्षा में पीछे नहीं जाया जा सकता।
- एक बार यदि परीक्षा पूरी कर देते हो तो आपको धन्यवाद टिप्पणी के साथ परीक्षा की समाप्ति को दर्शाते हुए स्क्रीन नजर आएगा।
- परीक्षा समाप्ति पर उपयोग किया हुआ लिखने वाला पेड प्रशासक को हस्तान्तरित करने के लिए अपना हाथ उठाएं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यलय,10, बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

सं. 54/131-परीक्षा/प्रो./एसएएस(पूरक)/2011

दिनांकः- 09-03-2012

2012 का परिपत्र संख्या -4

विषयः- मार्च 2012 एस.ए.एस. परीक्षा (पूरक) में अभ्यर्थियों का निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने का समय –

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको जानकारी है कि कुछ परीक्षा केन्द्रो पर कम्प्यूटर की कमी के कारण सी.बी.टी. मोड से एस.ए.एस. परीक्षा बैचों में की जाती है। कार्यस्थल पर कम्प्यूटर का निर्धारणएवं पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियो को परीक्षा केन्द्र पर समय से पूर्व पहुँचना अति आवश्यक है। अतः मार्च 2012 एस.ए.एस. परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक घन्टा पहले रिपोर्ट करे। यदि अभ्यर्थी इस रिपोर्टिंग समय के बाद पहुँचते है तो उनको परीक्षा स्थल पर प्रवेश नही दिया जायेगा। अभ्यर्थियो को जारी किये गये प्रवेश पत्रों पर छपे निर्देशों में 30 मिनट के समय को एक घन्टा पढ़ा जाये।

अतः इसका व्यापक प्रचार किया जाये तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घन्टा पहले पहुँच जाये, महत्वपूर्ण स्थानो पर लगे सूचना पटो पर लगवा दे।

भवदीय

कर्ण सिंह

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

सं.. 148/131 परीक्षा/प्रोग्राम/डेट शीट/2010 2012
दिनांकः 16/02/ 2012

2012 का परिपत्र संख्या 03

सेवा में
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयं : - एस ए एस परीक्षा (पूरक) मार्च 2012 में पी.सी. - I (भाषा कौशल) के भाग "बं" (सार मसौदा) को हल करते समय उत्तर के मूल पाठ को सेव करना।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2011 के परिपत्र संख्या 31 जो 1135/45-परीक्षा/पंजी./एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई./ 2011 दिनांक 9-12-2011 के अन्तर्गत जारी किया गया था की निरन्तरता में यह दोहराया जाता है कि एस.ए.एस. परीक्षा (पूरक) मार्च 2012 में पी.सी. - I (भाषा कौशल) भाग "बं" के प्रश्न संख्या 51 एवं 52 को हल करते समय प्रश्न 51 एवं 52 से स्विच ओवर करने से पूर्व अथवा इसके विपरीत यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा टाइप किये गये उत्तरों के मूल पाठ को सेव कर लिया गया है। अभ्यर्थियों को इन निर्देशों को दोहरा दें -

अतः इसका व्यापक प्रचार किया जाये तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पी.सी. - I (भाषा कौशल) प्रश्न पत्र देने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व इसका पता लग जाये, महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे सूचना पटो पर लगवा ड्डदें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग</u>
<u>नई दिल्ली-</u>

परीक्षा अनुभाग

सं.105/131-परीक्षा/प्रोग्राम/ तिथि-पत्र /2010-2012
दिनांकः 09-02-2012
2012 का परिपत्र संख्या 02

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी संबंधित कार्यालय
आर.टी. आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए/आई.सी.आई.एस.ए.
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- मार्च 2012 एस.ए.एस. परीक्षा(अनुपूरक) की तिथि-पत्र

महोदय/महोदया,

पत्र संख्या 767/131-परीक्षा/कार्यक्रम/एस.ए.एस. अनुपूरक/2011 दिनांक 19-12-2011 के अन्तर्गत जारी किये गये परीक्षा अनुभाग के 2011 के परिपत्र संख्या 34 की निरन्तरता में दिनांक 13 मार्च 2012 से 17 मार्च 2012 तक आयोजित होने वाली मार्च 2012 एस.ए.एस. परीक्षा (अनुपूरक) की तिथि-पत्र संलग्न है।

पुनः यह दोहराया जाता है कि डेमो टेस्ट वेब साइट मे http://76.74.250.14/cagdtest पर उपलब्ध है जिसके लिए सी.ए.जी की वेबसाइट का मार्ग हमारे बारे में > अन्य विंग >परीक्षा है। पी.सी.-1 (भाषा कौशल) के भाग "बी" (मौलिक प्रारूप एवं लेखन योग्यताएं) सहित सम्बन्धित प्रश्न-पत्रों के अभ्यास के लिए अभ्यर्थियों को सी.बी.टी. मोड द्वारा परीक्षा से परिचय हेतु उत्साहित करें।

इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें

भवदीय

संलग्नक - तिथि-पत्र

कर्ण सिंह
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफरमार्ग
नई दिल्ली-

मार्च 2012 एस.ए.एस. परीक्षा (अनुपूरक) की तिथि-पत्र

दिनांक/दिन	पूर्वाहन सत्र	अपराहन सत्र
13-03-2012 मंगलवार	पी.सी. - 1	पी.सी. - 4
14-03-2012 वुधवार	पी.सी.- 16,17,18,19 एवं 20 (5 पेपर)	पी.सी. - 3
15-03-2012 बृहस्पतिवार	पी. सी. - 13,14,एवं 15 (3 पेपर)	पी. सी. - 2
16-03-2012 शुक्रवार	पी.सी.- 21,22,23,24,25,एवं 26 (6 पेपर)	पी.सी.- 5,6,7, (3 पेपर)
17-03-2012 शनिवार	पी.सी.- 8,9,10,11,और 12 (5 पेपर)	पी.सी.- 27,28,29 (3 पेपर) कोलकता, पटना एवं रांची

बैच टाईमिंगस

दिनांक/दिन	पूर्वाहन पत्र		अपराहन पत्र	
	बैच -1	बैच -2	बैच -1	बैच - 2
13-03-2012 मंगलवार	9 : 00 से 11 : 30	शून्य	14 : 00 से 16.: 00	16 : 30 से 18 : 30
14-03-2012 से 17-03-2012 बुधवार से शनिवार	9 : 00 से 11 : 00	11 : 30 से 13 : 30	14 : 00 से 16 : 00	16 : 30 से 18 : 30

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124

परीक्षा अनुभाग

सं. 72 /5/प्रोग./एसएएस/आरए/परीक्षा/2011/के डब्ल्यू III

दिनांक 20-01-2012

2012 का परिपत्र सं. -1

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालयाध्यक्ष, क्षे.प्र.सं., क्षे. प्र.के., राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी,शिमला, आईसीआईएसए नौयडा, निदेशक (कार्मिक) एवं प्र.नि. (प्रशिक्षण)

विषय **:-** एस.ए.एस. परीक्षा के प्रशिक्षण का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी एसएएस (मुख्य) परीक्षा (अगस्त/सितम्बर 2012) और उससे आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए योग्य अभ्यर्थियों के दोनों ग्रुपों (ग्रुप - I एवं ग्रुप - II) को एकमात्र प्रशिक्षण मुहैया कराया जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)